

उत्तर प्रदेश शासन  
राज्य कर अनुभाग-2  
संख्या-283/XI-2-22-9(56)/19-उ.प्र.अधि-5-2008-आदेश-(234)-2022  
लखनऊ: दिनांक: २२ अप्रैल, 2022

### अधिसूचना

उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 5 सन् 2008) की धारा 74 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके राज्यपाल, लोकहित में निम्नलिखित स्पष्टीकरण जारी करती हैं, अर्थात्:-

किसी अन्य अधिनियम के अधीन जारी किसी अन्य अधिसूचना में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 5 सन् 2008) और तद्धीन बनायी गयी नियमावली, जिन्हें आगे उक्त अधिनियम एवं नियमावली कहा गया है, के अधीन नियुक्त अधिकारी, उक्त अधिनियम और नियमावली के प्रयोजनों के लिये उक्त अधिनियम और नियमावली में उल्लिखित पदनामों का उपयोग करते रहेंगे।

2. यह अधिसूचना तत्काल प्रवृत्त होगी।

आज्ञा से,



संजीव मित्तल

(अपर मुख्य सचिव)